# प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )
वाद सं0 : 846 सन 2021
अनवान :–

1. कृष्ण कुमार पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी रामपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. ओमप्रकाश पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी रामपुरा तहसील टिब्बी

**वादीगण**

**बनाम**

1. जमना पत्नी रामलाल जाति जाट निवासी रामपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
2. सरोज पुत्री रामलाल जाति जाट निवासी रामपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
3. सन्तोष पत्नी मदन जाति जाट निवासी रामपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
4. सुलोचना नाबालिग पुत्री मदन जरिये संरक्षिका माता सन्तोष पत्नी मदन जाति जाट साकिन रामपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
5. विवेक नाबालिग पुत्री मदन जरिये संरक्षिका माता सन्तोष पत्नी मदन जाति जाट साकिन रामपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

**राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88**

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

**निर्णय दिनांक :–** 02/10/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा किकराली के खाता संख्या 165/154 की कुल 9.1690हैक्ट में से 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मृतक रामलाल के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रामलाल पुत्र हरीराम के नाम से दर्ज है जो वादीगण का पिता है वादीगण के पिता रामलाल पुत्र हरीराम का देहान्त हो चुका है रामलाल पुत्र हरीराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 जायज वारिसान है जो रामलाल पुत्र हरीराम के नाम से दर्ज भूमि के जायज वारिसान है जो अपने हक हिस्सा के अनुसार रामलाल पुत्र हरीराम के नाम दर्ज भूमि को पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण की माता है एवं प्रतिवादी संख्या 2 वादीगण की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 वादीगण के भाई मदन की पत्नी एवं पुत्री है प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 5 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 5 का बराबर का हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की रामलाल पुत्र हरीराम जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

ता 5 ने निवेदन किया की वाद भूमि रामलाल पुत्र हरीराम के नाम से दर्ज है जो वादीगण का पिता है के नाम से दर्ज है रामलाल पुत्र हरीराम को देहान्त हो चुका है रामलाल पुत्र हरीराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 है जो रामलाल पुत्र हरीराम के नाम से दर्ज भूमि को पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने पुत्रो/भाईयो वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 5 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 6 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष 2021 केम्प कोर्ट में पेश होने पर वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की रोही मौजा किकराली के खाता संख्या 165/154 की कुल 9.1690हैक्‍ में से 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मृतक रामलाल के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रामलाल पुत्र हरीराम के नाम से दर्ज है जो वादीगण का पिता है वादीगण के पिता रामलाल पुत्र हरीराम का देहान्त हो चुका है रामलाल पुत्र हरीराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 जायज वारिसान है जो रामलाल पुत्र हरीराम के नाम से दर्ज भूमि के जायज वारिसान है जो अपने हक हिस्सा के अनुसार रामलाल पुत्र हरीराम के नाम दर्ज भूमि को पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण की माता है एवं प्रतिवादी संख्या 2 वादीगण की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 वादीगण के भाई मदन की पत्नी एवं पुत्री है प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 5 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 5 का बराबर का हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा किकराली के खाता संख्या 165/154 की कुल 9.1690हैक्‍ में से 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मृतक रामलाल के नाम सें दर्ज है।

वादीगण का कथन है कि वादीगण के पिता रामलाल पुत्र हरीराम के नाम से दर्ज है वादीगण के पिता रामलाल पुत्र हरीराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 जो रामलाल पुत्र हरीराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है।

वादीगण का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 5 के पक्ष में किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा किकराली के खाता संख्या 165/154 की कुल 9.1690हैक में से 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मृतक रामलाल के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ,2 एवं प्रतिवादी संख्या 5 तीनो बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 02/10/2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
उपखण्ड अधिकारी
नोहर ( हनुमानगढ )
नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट.........

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner

## प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6–7 जाप्ता दिवानी )

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर**

अनवान :–

1. कृष्ण कुमार पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी रामपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. ओमप्रकाश पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी रामपुरा तहसील टिब्बी

वादीगण

बनाम

1. जमना पत्नी रामलाल जाति जाट निवासी रामपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
2. सरोज पुत्री रामलाल जाति जाट निवासी रामपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
3. सन्तोष पत्नी मदन जाति जाट निवासी रामपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
4. सुलोचना नाबालिग पुत्री मदन जरिये संरक्षिका माता सन्तोष पत्नी मदन जाति जाट साकिन रामपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
5. विवेक नाबालिग पुत्री मदन जरिये संरक्षिका माता सन्तोष पत्नी मदन जाति जाट साकिन रामपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**
**राजस्व वाद संख्या 846 सन 2021 निर्णय दिनांक– 02/10/2021**

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021 में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा किकराली के खाता संख्या 165/154 की कुल 9.1690हैक्ट में से 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मृतक रामलाल के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ,2 एवं प्रतिवादी संख्या 5 तीनों बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय बाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 02/10/2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2011 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ )
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट....

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner